कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि. E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड , नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

सं.: ए-49/16/02/2020-रा.भा. दिनांक : 08.04.2026

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नाकोतर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा।

विषय: अधिकारियों (इकाई प्रमुखों) द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26

महोदय,

विदित है कि निगम अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निगम कार्यालयों में हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना लागू है। इस प्रोत्साहन योजना में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (चिकित्सा)/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक आदि कार्यालय प्रमुख भी भाग ले सकते हैं। इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले इकाई प्रमुखों को अपना तत्संबंधी रिकॉर्ड मुख्यालय भेजना होता है और मुख्यालय में इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों पर बीमा आयुक्त द्वारा पुरस्कार की मंजूरी दी जाती है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी नीचे दिए गए प्रोफॉर्मा में अपने डिक्टेशन का रिकॉर्ड रखेंगे:-

क्र.स.	दिनाक	डिक्टेशन मे लिखी गई पंक्तियो की संख्या	फाइल	अभ्युक्ति

अनुरोध है कि वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) के दौरान इस प्रतियोगिता मे भाग लेने के इच्छुक कार्यालय प्रमुख अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए हिंदी में दी गई डिक्टेशनों का रिकॉर्ड दिनांक **29.05.2026** तक इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें ताकि उसे प्रतियोगिता में शामिल किया जा सके।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी वर्ग एवं हिंदीतर भाषी वर्ग में प्रत्येक के लिए **₹5,000/- (पांच हजार रुपये केवल)** का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम संख्या 'क ' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 डिक्टेशन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेशन होगी और 'ग' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयो में हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेशन और हिंदीतर अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 60 डिक्टेशन होगी (मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)। आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियां भी डिक्टेशन मानी जाएंगी। 10 पंक्तियों से कम की डिक्टेशन की गणना नहीं की जाएगी। इसके साथ न्यूनतम 10 नमूने भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 08-04-2026
21:47:33

(श्याम सुंदर कथूरिया)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. मुख्यालय के अधिकारियों को सूचना एवं समरूप कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।